न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

प्रार्थना –पत्र नम्बर 07/2025

प्रार्थना – पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) आरटीए

इन्द्रजीत कौर पत्नी श्री बलवीर सिंह जाति जटसिख नि. ढाबां तह.संगरिया जिला हनुमानगढ

प्रार्थीया

विरूद्ध

1. चरणजीत कौर पुत्री श्री रणवीर सिंह जाति जटसिख नि.ढाबां तह.संगरिया जिला हनुमानगढ
2. जगजीतकौर पत्नी श्री रणवीरसिंह जाति जटसिख नि. ढाबां तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
3. प्रिंसजीत कौर पुत्री श्री रणवीर सिंह जाति जटसिख नि.ढाबां तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
4. बलकरण सिंह पुत्र श्री रणवीर सिंह जाति जटसिख नि.ढाबां तह.संगरिया जिला हनुमानगढ
5. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया।

–:आदेश:–

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क (1) आर.टी.एक्ट के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया एवं अप्रार्थी सं. 1 ता 4 आपस में एक ही चक के पड़ौसी काश्तकार है। प्रार्थीया के नाम से तहसील संगरिया के चक 3 बी.जी.पी. के एकल खाता सं. 113/51 जमाबन्दी सम्वत 2070–73 में 0.784 है. कृषि भूमि तथा अप्रार्थीगण सं. 1 ता 4 के नाम से तहसील संगरिया के चक 3 बी.जी.पी. के खाता सं. 114 जमाबन्दी सम्वत 2070–73 में 1.746 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त खातों की जमाबन्दीयों की प्रमाणित प्रतियां संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थीया को अपनी तहसील संगरिया के चक 3 बी.जी.पी. के एकल खाता सं. 113/51 जमाबन्दी सम्वत 2070–73 में 0.784 है. कृषि भूमि में आवागमन के लिये एवं कृषि यंत्र लाने व ले–जाने हेतु कोई रास्ता स्वीकृत नहीं है तथा प्रार्थीया को अपनी कृषि भूमि काश्त करने के लिये आने–जाने में बिना स्वीकृत रास्ता के भारी असुविधा होती है तथा प्रार्थीया अपनी कृषि भूमि में स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं होने से भयभीत हो रही है। अब प्रार्थीया अपने खेत में आने–जाने हेतु रास्ता को स्वीकृत करवाना चाहता है। प्रार्थीया को अपनी कृषि भूमि में आने–जाने, कृषि कार्य करने एवं कृषि यंत्र लाने व ले–जाने हेतु अप्रार्थी सं. 1 ता 4 की तहसील संगरिया के चक 3 बी.जी.पी. के खाता सं. 114 जमाबन्दी सम्वत 2070–73 में प.न 211/138 मु.नं. 40 के कि.नं. 21,22/0.013 है.प्र. (किला की दक्षिणी दिशा में मुख्य रास्ता से पश्चिम से पूर्व की ओर 165 फुट लम्बा एवं 8.25 फुट चौड़ा रास्ता), प. नं. 211/138 मु.नं. 40 के कि.नं. 23/2/0.0113 है. (किला की दक्षिणी दिशा में मुख्य रास्ता से पश्चिम से पूर्व की ओर 148.5 फुट लम्बा एवं 8.25 फुट चौड़ा रास्ता) कृषि भूमि रास्ता को स्वीकृत करना वैर मुमकिन रास्ता के रूप में दर्ज करवाना चाहता है। प्रार्थीया उक्त रास्ता से ही अपनी कृषि भूमि में आवागमन करती है। प्रार्थीया उक्त रास्ता की भूमि के प्रतिफल स्वरूप इतनी ही कृषि भूमि

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

या कृषि भूमि का बाजार मुल्य जो भी उचित समझे अप्रार्थी सं. 1 ता 8 को देने के लिये तैयार व तत्पर है। इस कारण प्रार्थीया उक्त रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी एवं दावेदार है। प्रार्थीया ने अप्रार्थी सं. 1 ता 4 से कई बार निवेदन किया कि अप्रार्थी सं. 1 ता 4 अपनी तहसील संगरिया के चक 3 बी.जी.पी. के. खाता सं. 114 जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 में प.नं. 211/138 मु.नं. 40 के कि.नं. 21,22/0.013 है.प्र. (किलो की दक्षिणी दिशा में मुख्य रास्ता से पश्चिम से पूर्व की ओर 165 फुट लम्बा एवं 8.25 फुट चौड़ा रास्ता), प.नं. 211/138 मु.नं. 40 के कि.नं. 23/2/0.0113 है. (किलो की दक्षिणी दिशा में मुख्य रास्ता से पश्चिम से पूर्व की ओर 148.5 फुट लम्बा एवं 8.25 फुट चौड़ा रास्ता) कृषि भूमि को राजस्व रिकार्ड में गै.मु. रास्ता के रूप में दर्ज करवा देवें तो पहले तो अप्रार्थी सं. 1 ता 4 आजकल–आजकल कर टाल मटोल करता रहा लेकिन अंत में ऐसा करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया। यही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण है। अप्रार्थी सं. 1 ता 4 के नाम से कृषि भूमि दर्ज होने के कारण एवं अप्रार्थी सं. 5 को भु–धारक होने के कारण अप्रार्थी के रूप में पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थना पत्र रास्ता स्वीकृत करवाने का है जो माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का हैं तथा 1/–रूपये के न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीया को अपनी कृषि भूमि में आने–जाने, कृषि कार्य करने एवं कृषि यंत्र लाने व ले–जाने हेतु अप्रार्थी सं. 1 ता 4 की तहसील संगरिया के चक 3 बी.जी.पी. के खाता सं. 114 जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 में प.नं. 211/138 मु.नं. 40 के कि.नं. 21,22/0.013 है.प्र. (किलो की दक्षिणी दिशा में मुख्य रास्ता से पश्चिम से पूर्व की ओर 165 फुट लम्बा एवं 8.25 फुट चौड़ा रास्ता), प.नं. 211/138 मु.नं. 40 के कि. नं. 23/2/0.0113 है. (किला की दक्षिणी दिशा में मुख्य रास्ता से पश्चिम से पूर्व की ओर 148.5 फुट लम्बा एवं 8.25 फुट चौड़ा रास्ता) कृषि भूमि को राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता के रूप में अंकन करने के आदेश देने की कृपा करे।

प्रार्थना–पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टंर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण को बार–बार समय दिये जाने पर भी जवाब प्रस्तुत नही किया। इस कार्यालय द्वारा तहसीलदार संगरिया से उक्त रास्ता के प्रकरण को सही रूप से निस्तारण करने एवं मौका की जांच रिपोर्ट चाही जाने पर उन्होने अपने पत्र क्रमांक 1118 दिनांक 117.02.2025 द्वारा प्रार्थीया के पास आवेदित रास्ते के अलावा कोई विकल्प नही होना एवं पक्षकार आपस मे सहमत नही होना तथा प्रार्थीया को रास्ता अत्यधिक आवश्यकता होना बतलाते हुए रास्ता स्वीकृत किये जाने की अनुशंपा करते हुए अपनी रिपोर्ट भिजवाई गई।

पत्रावली में तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, मुताबिक रिपोर्ट रास्ता की अत्यातिंक आवश्यकता है, रास्ता की मांग सुविधा के लिये नही की जा रही है जबकि आवश्यकता होने पर स्वीकृत करवाना चाहता है।

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

उपर्युक्त विवेचन के आधार प्रार्थना–पत्र प्रार्थी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 251 ए के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु "रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता" एवं वैकल्पिक रास्ते का अभाव पर विचारण किया गया। रिपोर्ट तहसीलदार से स्पष्टतया प्रकट होता है कि प्रार्थीया की कृषि भूमि में काश्त करने बाबत जाने हेतु मन्जूर शुद्वा रास्ते का अभाव होने से रास्ते की आत्यंतिक आवश्कता है। अतः यह रास्ता सुविधा के लिए नहीं अपितु आत्यंतिक आवश्यकता के लिए है। अतः न्यायहित में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए में अप्रार्थी के रकबा में से चक 3 बी.जी.पी. के खाता सं. 114 जमाबन्दी सम्वत 2070–73 में प.नं. 211/138 मु.नं. 40 के कि.नं. 21,22/0.013 है.प्र. (किलो की दक्षिणी दिशा में मुख्य रास्ता से पश्चिम से पूर्व की ओर 165 फुट लम्बा एवं 8.25 फुट चौड़ा रास्ता), प.नं. 211/138 मु.नं. 40 के कि. नं. 23/2/0.0113 है. (किला की दक्षिणी दिशा में मुख्य रास्ता से पश्चिम से पूर्व की ओर 148.5 फुट लम्बा एवं 8.25 फुट चौड़ा रास्ता स्वीकृत किया जाता है और इसके बदले में प्रार्थीया का उक्तानुसार रकबा प्रश्नगत रास्ते के सामने से छोड़कर 211/138 मु.न. 40 किला नं. 23/,24 से कम कर अप्रार्थी के किला नम्बर 23/2 के चिपता नाम दर्ज किये जाने के आदेश जाते है। अप्रार्थी को उक्त रकबा का उक्तानुसार कब्जा दिलवाया जाकर भू.अ. निरीक्षक/हल्का पटवारी की उपस्थिति में रास्ता चालू करवाया जाना सुनिशिचित करे। तहसीलदार संगरिया को इस बाबत पालनार्थ लिखा जावें। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफतर की जावें।

आदेश आज दिनांक 16.1.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(जय कौशिक)
उपखण्ड अधिकारी,
संगरिया